>

Title: Need to review the formula to fix the rate of royalty on coal.

श्री कृष्णा मुरारी मोघे (खरगौन) : सभापति महोदया, काफी लम्बे समय से कोयला रॉयल्टी का पुनरीक्षण एवं कोयले की रॉयल्टी का टनेज के स्थान पर मूल्य आधार निर्धारण केन्द्र शासन स्तर पर लम्बित है। जैसा कि आप स्वयं अवगत हैं कि वर्ष 1997 एवं वर्ष 2000 में कोयले की रॉयल्टी का पुनरीक्षण न करने से मध्य प्रदेश राज्य शासन को 618 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त नहीं हो सका, जो मध्य प्रदेश जैसे राज्य के लिए प्राणहानि है। कोयला रॉयल्टी के इन दोनों मुद्दों पर (पुनरीक्षण और निर्धारण) विगत दो वर्षों से राज्य एवं जन प्रतिनिधियों (सांसदों) द्वारा निरन्तर अनुसरण किया जा रहा है। कोयला रायल्टी के पुनरीक्षण और निर्धारण के लिए केन्द्र स्तर पर दिनांक 2.6.2005 को समिति का गठन किया गया है। समिति द्वारा कोयला उत्पादक राज्यों से उनके अभिमत प्राप्त किये गये। कोयला रॉयल्टी के दर का निर्धारण मूल्य आधार पर करने हेतु माननीय प्रधान मंत्री जी की आर्थिक सलाहकार समिति को तैयार करने के लिए भेजा गया। राज्य सरकारों का प्रतिनिधित्व प्राप्त करने के लिए भी बैठक आयोजित की गई, जिसमें राज्य के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया। यह भी कि दिनांक 14.7.2006 को संबंधित कमेटी द्वारा अपनी रिपोर्ट दे दी गई है। शीघ्र ही कोयला मंत्रालय द्वारा कोयला उत्पादक राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ इस रिपोर्ट पर बैठक आयोजित की जानी थी, जो अभी भी प्रतीक्षित है।

मेरा आपसे निवेदन है कि इन दोनों राज्यों के महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर अतिशीघ्र निर्णय लेने का कष्ट करें, ताकि राज्य को हो रही प्रतिवर्ष की हानि से बचाया जा सके।